



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032026-270992  
CG-DL-E-17032026-270992

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1296]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2026/फाल्गुन 25, 1947

No. 1296 ]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2026/PHALGUNA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

**का.आ. 1355(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् घोषणा करती है कि महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में राष्ट्रीय महामार्ग 63 के कि.मी. 00+000 से कि.मी. 11+950 तक के भू-खंड के निर्माण (चौड़ीकरण /पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन /4-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् **उपविभागीय अधिकारी उदगीर** को लिखित रूप में किया जायगा और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

## अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में राष्ट्रीय महामार्ग ६३ के कि.मी. ००+००० से कि.मी. ११+७५८ लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: लातूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: उदगीर					
गांव का नाम: पिंपरी					
1	55	निजी	कृषी	0.0335 (हेक्टेयर)	0.0335
2	56	निजी	कृषी	0.6056 (हेक्टेयर)	0.6056
3	59	निजी	कृषी	0.6849 (हेक्टेयर)	0.6849
4	60	निजी	कृषी	0.228 (हेक्टेयर)	0.228
5	61	निजी	कृषी	0.6216 (हेक्टेयर)	0.6216
6	62	निजी	कृषी	0.9864 (हेक्टेयर)	0.9864
7	67	निजी	कृषी	0.728 (हेक्टेयर)	0.728
8	68	निजी	कृषी	0.655 (हेक्टेयर)	0.655
9	77	निजी	कृषी	0.4148 (हेक्टेयर)	0.4148
10	78	निजी	कृषी	0.9265 (हेक्टेयर)	0.9265
11	81	निजी	कृषी	0.614 (हेक्टेयर)	0.614
12	82	निजी	कृषी	0.1201 (हेक्टेयर)	0.1201
13	83	निजी	कृषी	1.251 (हेक्टेयर)	1.251
14	84	निजी	कृषी	0.0262 (हेक्टेयर)	0.0262
15	88	निजी	कृषी	0.5639 (हेक्टेयर)	0.5639
16	89	निजी	कृषी	0.5929 (हेक्टेयर)	0.5929
17	90	निजी	कृषी	0.3003 (हेक्टेयर)	0.3003
18	91	निजी	कृषी	0.4334 (हेक्टेयर)	0.4334
19	97	निजी	कृषी	0.0579 (हेक्टेयर)	0.0579
20	River	सरकारी	गैरकृषी	0.3334 (हेक्टेयर)	0.3334
21	Road	सरकारी	गैरकृषी	0.0651 (हेक्टेयर)	0.0651

गांव का नाम: नागलगाव					
22	547(359)	निजी	कृषी	0.6718 (हेक्टेयर )	0.6718
23	548(360)	निजी	कृषी	0.6286 (हेक्टेयर )	0.6286
गांव का नाम: बोरताळा तांडा					
24	1	निजी	कृषी	0.3061 (हेक्टेयर )	0.3061
25	2	निजी	कृषी	0.6984 (हेक्टेयर )	0.6984
गांव का नाम: उदगीर					
26	125	निजी	कृषी	0.8137 (हेक्टेयर )	0.8137
27	128	निजी	कृषी	1.4968 (हेक्टेयर )	1.4968
28	129	निजी	कृषी	0.4869 (हेक्टेयर )	0.4869
29	142	निजी	कृषी	0.4814 (हेक्टेयर )	0.4814
30	143	निजी	कृषी	1.0586 (हेक्टेयर )	1.0586
31	144	निजी	कृषी	0.3924 (हेक्टेयर )	0.3924
32	145	निजी	कृषी	0.4643 (हेक्टेयर )	0.4643
33	193	निजी	कृषी	0.3761 (हेक्टेयर )	0.3761
34	194	निजी	कृषी	0.479 (हेक्टेयर )	0.479
35	River	सरकारी	गैरकृषी	0.1114 (हेक्टेयर )	0.1114
36	Road	सरकारी	गैरकृषी	0.0362 (हेक्टेयर )	0.0362
गांव का नाम: सोमनाथपूर					
37	26	निजी	कृषी	0.1239 (हेक्टेयर )	0.1239
38	27	निजी	कृषी	0.2741 (हेक्टेयर )	0.2741
39	28	निजी	कृषी	0.3858 (हेक्टेयर )	0.3858
40	29	निजी	कृषी	0.2159 (हेक्टेयर )	0.2159
41	33	निजी	कृषी	0.0617 (हेक्टेयर )	0.0617
42	34	निजी	कृषी	1.063 (हेक्टेयर )	1.063
43	54	निजी	कृषी	0.1954 (हेक्टेयर )	0.1954
44	56	निजी	कृषी	0.6742 (हेक्टेयर )	0.6742
45	57	निजी	कृषी	0.8548 (हेक्टेयर )	0.8548
46	58	निजी	कृषी	1.2077 (हेक्टेयर )	1.2077

47	59	निजी	कृषी	0.3432 (हेक्टेयर )	0.3432
48	63	निजी	कृषी	0.9959 (हेक्टेयर )	0.9959
49	64	निजी	कृषी	0.3449 (हेक्टेयर )	0.3449
<b>गांव का नाम: मलकापूर</b>					
50	12	निजी	कृषी	0.1284 (हेक्टेयर )	0.1284
51	13	निजी	कृषी	0.0283 (हेक्टेयर )	0.0283
52	18	निजी	कृषी	0.1167 (हेक्टेयर )	0.1167
53	38	निजी	कृषी	0.0602 (हेक्टेयर )	0.0602
54	56	निजी	कृषी	0.0669 (हेक्टेयर )	0.0669
55	70	निजी	कृषी	0.1325 (हेक्टेयर )	0.1325
56	71	निजी	कृषी	0.0347 (हेक्टेयर )	0.0347
57	80	निजी	कृषी	0.1884 (हेक्टेयर )	0.1884
58	83	निजी	कृषी	0.2399 (हेक्टेयर )	0.2399
59	Railway	सरकारी	गैरकृषी	0.0283 (हेक्टेयर )	0.0283
60	Road	सरकारी	गैरकृषी	0.0355 (हेक्टेयर )	0.0355
<b>गांव का नाम: मारोती तांडा</b>					
61	31	निजी	कृषी	0.7113 (हेक्टेयर )	0.7113
<b>गांव का नाम: सोमाला तांडा</b>					
62	12	निजी	कृषी	0.918 (हेक्टेयर )	0.918
63	13	निजी	कृषी	0.4802 (हेक्टेयर )	0.4802
64	17	निजी	कृषी	0.0216 (हेक्टेयर )	0.0216
65	18	निजी	कृषी	0.0272 (हेक्टेयर )	0.0272
66	19	निजी	कृषी	0.1318 (हेक्टेयर )	0.1318
67	20	निजी	कृषी	0.0401 (हेक्टेयर )	0.0401
68	21	निजी	कृषी	0.1864 (हेक्टेयर )	0.1864
69	22	निजी	कृषी	0.1778 (हेक्टेयर )	0.1778
70	23	निजी	कृषी	0.2158 (हेक्टेयर )	0.2158
71	24	निजी	कृषी	0.3368 (हेक्टेयर )	0.3368
72	25	निजी	कृषी	0.0269 (हेक्टेयर )	0.0269

73	26	निजी	कृषी	0.0149 (हेक्टेयर )	0.0149
74	37	निजी	कृषी	1.4665 (हेक्टेयर )	1.4665
<b>Total</b>					<b>31.2998</b>

[फा. सं. RW/NH-12014/14/2024-MAH/Zone-IV/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2026

**S.O. 1355(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for **Construction of (widening/two lane with paved shoulder/ four laning etc.) maintenance, management and operation of National Highway 63 Udgir Bypass in the stretch of land from Km. 00+000 to Km. 11+758 in the District of Latur in the state of Maharashtra**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Sub Divisional Officer Udgir** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either Allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling National Highway 63 Udgir Bypass in the stretch of land from Km. 00+000 to Km. 11+758 in the District of Latur in the State of Maharashtra.**

State: MAHARASHTRA			District: Latur		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Udgir</b>					
<b>Village: Pimpri</b>					
1	55	Private	Agriculture	0.0335 (Hectare)	0.0335
2	56	Private	Agriculture	0.6056 (Hectare)	0.6056
3	59	Private	Agriculture	0.6849 (Hectare)	0.6849
4	60	Private	Agriculture	0.228 (Hectare)	0.228
5	61	Private	Agriculture	0.6216 (Hectare)	0.6216

6	62	Private	Agriculture	0.9864 (Hectare )	0.9864
7	67	Private	Agriculture	0.728 (Hectare )	0.728
8	68	Private	Agriculture	0.655 (Hectare )	0.655
9	77	Private	Agriculture	0.4148 (Hectare )	0.4148
10	78	Private	Agriculture	0.9265 (Hectare )	0.9265
11	81	Private	Agriculture	0.614 (Hectare )	0.614
12	82	Private	Agriculture	0.1201 (Hectare )	0.1201
13	83	Private	Agriculture	1.251 (Hectare )	1.251
14	84	Private	Agriculture	0.0262 (Hectare )	0.0262
15	88	Private	Agriculture	0.5639 (Hectare )	0.5639
16	89	Private	Agriculture	0.5929 (Hectare )	0.5929
17	90	Private	Agriculture	0.3003 (Hectare )	0.3003
18	91	Private	Agriculture	0.4334 (Hectare )	0.4334
19	97	Private	Agriculture	0.0579 (Hectare )	0.0579
20	River	Government	Non Agriculture	0.3334 (Hectare )	0.3334
21	Road	Government	Non Agriculture	0.0651 (Hectare )	0.0651
<b>Village: Nagalgaon</b>					
22	547(359)	Private	Agriculture	0.6718 (Hectare )	0.6718
23	548(360)	Private	Agriculture	0.6286 (Hectare )	0.6286
<b>Village: Bortal Tanda</b>					
24	1	Private	Agriculture	0.3061 (Hectare )	0.3061
25	2	Private	Agriculture	0.6984 (Hectare )	0.6984
<b>Village: Udgir</b>					
26	125	Private	Agriculture	0.8137 (Hectare )	0.8137
27	128	Private	Agriculture	1.4968 (Hectare )	1.4968
28	129	Private	Agriculture	0.4869 (Hectare )	0.4869
29	142	Private	Agriculture	0.4814 (Hectare )	0.4814
30	143	Private	Agriculture	1.0586 (Hectare )	1.0586
31	144	Private	Agriculture	0.3924 (Hectare )	0.3924
32	145	Private	Agriculture	0.4643 (Hectare )	0.4643

33	193	Private	Agriculture	0.3761 (Hectare )	0.3761
34	194	Private	Agriculture	0.479 (Hectare )	0.479
35	River	Government	Non Agriculture	0.1114 (Hectare )	0.1114
36	Road	Government	Non Agriculture	0.0362 (Hectare )	0.0362
<b>Village: Somnathpur</b>					
37	26	Private	Agriculture	0.1239 (Hectare )	0.1239
38	27	Private	Agriculture	0.2741 (Hectare )	0.2741
39	28	Private	Agriculture	0.3858 (Hectare )	0.3858
40	29	Private	Agriculture	0.2159 (Hectare )	0.2159
41	33	Private	Agriculture	0.0617 (Hectare )	0.0617
42	34	Private	Agriculture	1.063 (Hectare )	1.063
43	54	Private	Agriculture	0.1954 (Hectare )	0.1954
44	56	Private	Agriculture	0.6742 (Hectare )	0.6742
45	57	Private	Agriculture	0.8548 (Hectare )	0.8548
46	58	Private	Agriculture	1.2077 (Hectare )	1.2077
47	59	Private	Agriculture	0.3432 (Hectare )	0.3432
48	63	Private	Agriculture	0.9959 (Hectare )	0.9959
49	64	Private	Agriculture	0.3449 (Hectare )	0.3449
<b>Village: Malkapur</b>					
50	12	Private	Agriculture	0.1284 (Hectare )	0.1284
51	13	Private	Agriculture	0.0283 (Hectare )	0.0283
52	18	Private	Agriculture	0.1167 (Hectare )	0.1167
53	38	Private	Agriculture	0.0602 (Hectare )	0.0602
54	56	Private	Agriculture	0.0669 (Hectare )	0.0669
55	70	Private	Agriculture	0.1325 (Hectare )	0.1325
56	71	Private	Agriculture	0.0347 (Hectare )	0.0347
57	80	Private	Agriculture	0.1884 (Hectare )	0.1884
58	83	Private	Agriculture	0.2399 (Hectare )	0.2399
59	Railway	Government	Non Agriculture	0.0283 (Hectare )	0.0283

60	Road	Government	Non Agriculture	0.0355 (Hectare )	0.0355
<b>Village: Maroti Tanda</b>					
61	31	Private	Agriculture	0.7113 (Hectare )	0.7113
<b>Village: Somala Tanda</b>					
62	12	Private	Agriculture	0.918 (Hectare )	0.918
63	13	Private	Agriculture	0.4802 (Hectare )	0.4802
64	17	Private	Agriculture	0.0216 (Hectare )	0.0216
65	18	Private	Agriculture	0.0272 (Hectare )	0.0272
66	19	Private	Agriculture	0.1318 (Hectare )	0.1318
67	20	Private	Agriculture	0.0401 (Hectare )	0.0401
68	21	Private	Agriculture	0.1864 (Hectare )	0.1864
69	22	Private	Agriculture	0.1778 (Hectare )	0.1778
70	23	Private	Agriculture	0.2158 (Hectare )	0.2158
71	24	Private	Agriculture	0.3368 (Hectare )	0.3368
72	25	Private	Agriculture	0.0269 (Hectare )	0.0269
73	26	Private	Agriculture	0.0149 (Hectare )	0.0149
74	37	Private	Agriculture	1.4665 (Hectare )	1.4665
<b>Total</b>					<b>31.2998</b>

[F. No. RW/NH-12014/14/2024-MAH/Zone-IV/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director